राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांकः एफ.5 (त–14)कोष/राजकीय लेनदेन–II/ दिनांक 10.05.2017

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषयः– एस.बी.बी.जे. का एस.बी.आई. में Data merger दिनांक 13.05.2017 को किए जाने के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत एस.बी.बी.जे. का एस.बी.आई. में Data merger की कार्यवाही दिनांक 13.05.2017 को की जायेगी। इस हेतु दिनांक 12.05.2017 को दोपहर 12.00 बजे से कोषालयों/उपकोषालयों से सम्बद्ध एस.बी.बी.जे. बैंक शाखाओं द्वारा की जाने वाली ई–भुगतान की प्रक्रिया को रोक दिया जायेगा अर्थात कोषालय/उपकोषालय दिनांक 12.05.2017 को दोपहर 12.00 बजे से ई–भुगतान हेतु फाइले पे–मैनेजर साइट पर अपलोड नहीं कर सकेगें। दिनांक 15.05.2017 से कोषालयों/उपकोषालयों का एस.बी.बी.जे. की शाखाओं से सम्बद्ध ई–भुगतान एस.बी.आई. द्वारा किया जायेगा।

अतः दिनांक 12.05.2017 को एस.बी.बी.जे. की अधिकृत शाखाओं से सम्बद्ध कोई अति–आवश्यक भुगतान किया जाना हो तो उसका बिल संबंधित कोषालय/उपकोषालय में एक दिन पूर्व अथवा भुगतान रोके जाने के निधारित समय (12.00 noon) से कम से कम 2 घन्टे पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि कोषालय द्वारा समय पर बिल पारित कर 12.00 बजे से पूर्व भुगतान हेतु फाइल अपलोड की जा सके। अन्य एजेन्सी बैंकों (PNB, SBI, BOB, CBI and BOM) भुगतान प्रक्रिया यथावत जारी रहेगी।

भवदीय

(शरद मेहरा)
निदेशक, वित्त (बजट)

क्रमांकः एफ.5 (त–14)कोष/राजकीय लेनदेन–II/ दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.), वित्त विभाग को उक्त पत्र वित्त विभाग की साइट पर अपलोड करने हेतु।
2. सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, नेहरू प्लेस टोंक रोड़, जयपुर
3. मुख्य प्रबन्धक, ऑनलाइन ट्रेजरी शाखा, एस.बी.आई. तिलक मार्ग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा दिनांक 12.05.2017 को दोपहर 12.00 बजे तक अपलोड की गई समस्त फाइलों का भुगतान किया जाकर स्टेट्स सिस्टम पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावे।
4. मुख्य प्रबन्धक (सिस्टम) SBI, Cash Management Product Operation Centre, Survey no. 26, Lingampally Hyderabad- 500019
5. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर
6. कोषाधिकारी, समस्त।

निदेशक, वित्त (बजट)